# तेंदूपत्ता घोटाला : 14 लोकसेवकों के खिलाफ आरोपपत्र किया पेश

- तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन राशि में सात करोड़ रुपये का गबन
- तेन्दूपत्ता संग्राहकों को नहीं दी प्रोत्साहन राशि

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन राशि गबन मामले में मंगलवार को 14 आरोपित लोकसेवकों के विरुद्ध विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) दंतेवाड़ा में 4,500 पन्ने का अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है।

आरोप है कि सुकमा वनमंडल के डीएफओ अशोक कुमार पटेल एवं वन विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों ने प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के प्रबंधकों और पोषक अधिकारियों के साथ मिलकर वर्ष 2021 एवं 2022 में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का एक बड़ा हिस्सा गबन किया।

उन्होंने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उन्हें असली दस्तावेज की तरह इस्तेमाल किया और करोड़ों रुपये की राशि संग्राहकों को वितरित नहीं की। अब तक 17 में से आठ दूरस्थ समितियों की जांच की गई है। इनमें तीन करोड़ 92 लाख 05,362 रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। आरोपितों में डीएफओ अशोक कुमार पटेल, चार वनकर्मी/पोषक अधिकारी चैतूराम बघेल, देवनाथ भारद्वाज, मनीष कुमार बारसे, पोड़ियामी इड़िमा (हिडमा) और नौ समिति प्रबंधक पायम सत्यनारायण उर्फ शत्रु, मोहम्मद शरीफ, सीएच रमना (चिटटूरी), सुनील नुप्पो, रवि कुमार (गुप्ता), आयतू कोरसा, मनोज कवासी, राजशेखर पुराणिक उर्फ राजू और बी संजय रेड्डी शामिल हैं। बस्तर के माओवाद प्रभावित व अति संवेदनशील आदिवासी ग्राम पंचायतों में जाकर ईओडब्ल्यू ने ग्रामीणों से पूछताछ की।